प्रपत्र संख्या -2.1

प्रतिवेदन

कार्य का नामः– जनपद पिथौरागढ़ में जजुराली तक शहीद किशन सिंह के गांव तक मोटर मार्ग का

नव निर्माण कार्य।

जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम –गडानी जजुराली ठुमेत मालू खेत मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0 1594/जिला योजना/2012–13 दिनांक 22/01/2013 द्वारा 3.00 किमी0 हेतु रु0 37.8 लाख स्वीकृत हुआ है। विभाग द्वारा 3.00 किमी0 लम्बाई हेतु प्रस्ताव रखा गया था। जिसमें 9.00 मी0 चोडाई के अनुसार राज्य भूमि 0.36 हे0, नाप भूमि 0.99 हे0 , वन पंचायत 1.33 हे0 प्रभावित होती है। उक्त मार्ग के निर्माण से जजुराली की कुल 851 जनसंख्या लाभान्वित होगी। उक्त मो0 मार्ग में दो समरेखन पर विचार किया गया। वैकल्पिक समरेखन उपयुक्त न होने के कारण प्रस्तावित समरेखन में प्रभावित होने वाली 1.71हे0 वन भूमि न्यूनतम है जो उपयुक्त समरेखन है।

वन भूमि में मोटर मार्ग प्रस्तावित करने का औचित्य :–

1. राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष वन क्षेत्र लगभग 65 प्रतिशत है। जबकि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में 63 प्रतिशत ही वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि औचित्यपूर्ण है।
2. दुर्गम पहाडी क्षेत्र होने एवं कास्तकारों के छोटे छोटे भागों में भू स्वामित्व होने के कारण मोब्र मार्ग को सम्पूर्ण लम्बाई में नाप भूमि में बनाया जाना सम्भव नही है।
3. इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग को आरक्षित वन क्षेत्र की निगरानी में सहुलियत होगी।
3. दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण दो से अधिक विकल्पो में विचार किया जाना सम्भव नही हो पाता है दो संरेखणों में सर्वेक्षण करने के पश्चात भू वैज्ञानिक की रिर्पोट, मोटर मार्ग की लम्बाई कम होने, अधिक जनसंख्या लाभान्वित होने, वृक्षो के कम प्रभावित होने तथा उत्सर्जित मलवे की मात्रा कम होने के कारण एक मात्र यही संरेखण मोटर मार्ग निर्माण हेतु सबसे उपयुक्त पाया गया।

अतः प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति उपरान्त मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव होगा। जिस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे है ताकि मार्ग का निर्माण कार्य किया जा सके।

सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।